न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

माधोपुर

अपील संख्या 99/2017

1. कृष्णकुमार पुत्र लक्खी दत्तक पुत्र स्व0 कन्हैया आयु 62 साल जाति ब्राह्मण निवासी गढमडोरा तहसील मासलपुर हाल निवासी पानी की टंकी के पास वर्धमान नगर हिण्डौन जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. बृजभान उम्र 70 साल
2. घनश्याम आयु 65 साल पुत्रान ईश्वरिया जाति ब्राह्मण निवासी गढमडोरा तहसील मासलपुर, जिला करौली
3. राधेश्याम (मृतक)

3/1 बनवारीलाल शर्मा आयु 38 साल

3/2 हरिओम शर्मा आयु 35 साल

3/3 भरतलाल शर्मा आयु 33 साल

3/4 मोनू शर्मा आयु 30 साल

3/5 सुनील शर्मा आयु 28 साल

3/6 मनोज शर्मा आयु 24 साल पिसरान स्व0 राधेश्याम जाति ब्राह्मण निवासी गढमडोरा तहसील मासलपुर जिला करौली हाल निवासी बर्धमान नगर हिण्डौन सिटी जिला करौली।

4 द्वारका (मृतक)

5 जगभान आयु 78 साल पुत्रान श्रीराम जाति ब्राह्मण निवासी गढमडोरा तहसील मासलपुर जिला करौली

6 स्वरूप आयु 60 साल

7 रमेश आयु 55 साल पुत्रान वंशी जाति कहार निवासी सेवली तहसील मासलपुर जिला करौली

8 सब रजिस्ट्रार मासलपुर जिला करौली

9 तहसीलदार तहसील मासलपुर जिला करौली

रेस्पोटेंडान

(अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय सहायक कलेक्टर, करौली मु0न0 126/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 29.09.17)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपीलांटान की ओर से श्री गोविन्द चतुर्वेदी
2. रेस्पोडेंटान की ओर से श्री दिनेश बंसल

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 16:48:34 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक 28.02.2020

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय सहायक कलेक्टर करौली के मु0न0 126/16 निर्णय व डिक्री दिनांक 29.9.17 के विरूद्व पेश की गई है। अपील के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पो0/वादी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर

Scanned by CamScanner

टी एक्ट इस आशय का पेश किया गया कि आराजी खरारा नम्बर 65 रकबा 4 बीघा 2 विस्वा ग्राम गढमढोरा पटवार हल्का जमूरा तहसील करौली वर्तमान तहसीलदार मासलपुर मे स्थित है। जिसमे प्रतिवादी न0 1 व 2 के पिता लक्खी का 1/3 हिस्सा व वादीगण के पिता ईश्वरिया का 1/3 हिस्सा व चाचा कन्हैया का 1/3 हिस्सा है। जिसको संयुक्त रूप से काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण का चाचा कन्हैया अविवाहित लाओलाद फौत हो चुका है। उसके वारिस का सजरा वाद पत्र नम्बर 2 मे है। आराजी ख0न0 122,123,126,127 कुल किता 4 कुल रकबा 9 बीघा 4 विस्वा ग्राम गढमढोरा मे स्थित है। जिसमे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पिता का 1/2 हिस्सा है वादीगण के काका मृतक कन्हैया का 1/2 हिस्सा है। मृतक कन्हैया के विवादित आराजीयात के हिस्सा सम्पूर्ण का व वादीगण के काका मृतक कन्हैया का 1/2 हिस्सा है। मृतक कन्हैया के विवादित आराजीयात के हिस्सा सम्पूर्ण का प्रतिवादी न0 1 कृष्ण कुमार ने फर्जी वारिस बनकर हल्का पटवारी व रेवेन्यू अधिकारियो से साज कर अपने नाम करा लिया है। जो बिलकुल गलत व निराधार है। प्रतिवादी न0 1 कन्हैया का अकेला वारिस नही है। कन्हैया के हिस्से की जमीन मे वादीगण का भी हिस्सा है व प्रतिवादी न0 3 ता 5 का भी हिस्सा है। उक्त फर्जकारी की जानकारी वादीगण को नही थी वादीगण कन्हैया के समय से ही उक्त जमीन को उसके साथ संयुक्त रूप से काश्त करते चले आ रहे है और काबिज है। वादीगण ने जमाबंदी की नकल प्राप्त की तो उक्त फर्जकारी का पता चला कि प्रतिवादी न0 1 व 2 ने गलत तरीके से मृतक कन्हैया के हिस्से की सम्पूर्ण जमीन का खाता अपने नाम करवा लिया है। आराजी ख0न0 65 मे हिस्सा मृतक कन्हैया 1/3 मे वादीगण हिस्सेदार है तथा ख0न0 122,123,126,127 मे मृतक कन्हैया के हिस्सा 1/2 मे वादीगण हिस्सेदार है। इसलिए वादी मृतक कन्हैया के हिस्से की आराजी मे से हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है। दिनांक 8.1.02 को वादीगण ने प्रतिवादी न01 से कहा कि कन्हैया की जमीन का खाता तुमने अपने नाम गलत रूप से करा लिया है जिसमे हम वादीगण का भी हिस्सा है। इसलिए कन्हैया की जमीन मे से हमारे नाम खातेदारी तहसील मे करा दो इतना कहने पर प्रतिवादी न0 1 व 2 नाराज हो गये और कहने लगे कि अब सारी जमीन से तुम्हे बेदखल करेगे तथा इस जमीन को किसी लाठी वाले व्यक्ति को बेच देगे। यही वाद कारण उत्पन्न होने पर अधिनस्थ न्यायालय मे वादीगण द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर इस्तदुआ चाही गई कि मृतक कन्हैया के हिस्से मे अपना हिस्सा प्राप्त करने व रेवेन्यू रिकार्ड मे इन्द्राज कराने एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे तथा जमाबंदी सम्वत 2055 से 58 मे गलत रूप से जीवित राधेश्याम प्रतिवादी न0 2 को मृतक बताकर उसके नाम पर किसी अन्य राधेश्याम के वारिसान रामरज,विष्णु पिसरान राधेश्याम किशना बेवा राधेश्याम को हिस्सा 1/6, 1/6 को नोट लगाकर गलत रूप से विरासत खोल रखी है राधेश्याम जीवित है उसके खाते मे गलत एन्ट्रीज पटवारी ने की है। उसे दुरूस्त किया जाकर वाद पत्र स्वीकार फरमाया जावे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 16:48:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

वादी/रेस्पो0 का वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादीगण ने यह अपील इस न्यायालय मे पेश की है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेसपोडेंटान को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस उभयपक्ष अभिभाषकों की सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस अपील मे बताया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो रिकार्ड एवं दस्तावेजी साक्ष्यो के विरूद्व होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री अबिट्रेरी परवर्स केप्रियसली मनमाने तरीके से पारित की है जो निरस्त योग्य है। विवादित भूमि ख0न0 65 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा मे 1/3 हिस्सा वादीगण के पिता ईश्वरिया का कभी नही रहा ना है। यह भूमि सेटलमेंट पूर्व सुलहसिह छीतरसिह वगै0 की जागीर मे थी। जागीर जप्त होने पर भूमि खालसा मे दर्ज हो गई जिसे अपीलांट व राधेश्याम का पिता तथा कन्हैया जोतते थे और तभी से खाता उन दोनो के नाम चला आ रहा था। जिसे पूस सुदी चौथ बुधवार सम्वत 2021 मे जरिये प्रदर्श ए1 लिखावट कन्हैया ने अपीलांट को दे दी जिस बाबत लक्खी ईश्वरिया गिर्राज प्रसाद ने प्रदर्श ए 1 मे कन्हैया को लिखकर दिया कि तीनो मे से अपने हक को किसी को भी लिखेगे उसमे हम मन्जूर है इसमे हम कोई उज्र करेगे तो राजपंच मे झूठे माने जावेगे । लिखाते हुए गिर्राज व ईश्वरिया ने अपने हस्ताक्षर व लक्खीराम ने अगूठा लगा दिया। इस लिखावट को रेस्पो0 संख्या 1 व 2 पाबन्द है और उनके पिता की स्वीकारोक्ति उन पर बाध्यकारी होते हुए 30 वर्ष पुराने दस्तावेज को ना मानने मे अधिनस्थ न्यायालय ने गंभीर भूल की है। जबकि धारा 90 साक्ष्य अधिनियम के तहत 30 वर्ष पुराने दस्तावेज को प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नही है बल्कि इसके सही होने की विधि मे उपधारणा की जावेगी जिसे नजर अंदाज कर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने विवाधक संख्या 1 को तय करते समय निर्णय मे उल्लेख किया है कि प्रदर्श ए 1 लिखावट सादा कागज पर है इस पर कन्हैया की निशानी नही है। किसी लेखक या गवाह का बयान भी न्यायालय पत्रावली पर नही कराया है। पारिवारिक मामला होने के कारण प्रदर्श 1 सादा कागज पर लिखा गया है। गवाहान के बाबत डी डब्लू 1 कृष्ण कुमार ने जिरह मे बताया कि गवाहान मर चुके है ऐसी स्थिति मे गवाह पेश कैसे कर सकता है उसने स्वयं ने कहा है कि लिखापढी मेरे सामने हुई थी जिस पर कन्हैया की निशानी है। जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने ... मानकर गंभीर त्रुटि की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 वाद पत्र मे ... अभिवचनो के विपरीत विचरित की गई है जबकि प्रतिवादी संख्या 6 ता 8 अपीलांट की ओर से भेज पर काश्त करने वाले काश्तकार है। इसलिए मामला पुनः अभिवचन अनुसार कायम किये जाने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस पर गौर नही किया कि विवादित भूमि पर बृजभान का कोई कब्जा नही है जिरह मे पी डब्लू 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 16:48:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

बृजभान स्वयं मानता है कि चारो भाई की जमीन अलग अलग है ख0न0 65 का खाता कन्हैया के नाम है राजस्व रिकार्ड मे ख0न0 65 राधेश्याम कृष्ण कुमार के नाम है अगर इस तरह का इन्द्राज कराया है तो वह गलत है। सेटलमेंट से पहले लक्खी कन्हैया काश्त करते थें यह सही है। फिर बृजभान का पिता व बृजभान काबिज कैसे हुए उनका कब्जा काश्त कैसे उनके पास कैसे आया क्योकि कन्हैया ने आपको जमीन पर कब्जा नही दिया बल्कि चाचा होने के आधार पर घोषणा चाही है। इसके विपरीत प्रदर्श ए 1 के जरिये विवादित भूमि अपीलांट को कन्हैया ने दी कब्जा उसका है। जिसे वादी के गवाह राजेन्द्र सिह उम्मेद सिह मना नही करते बल्कि जिरह मे कहते है कि कृष्ण कमार जोत रहा हो तो हमें पता नही। यदि वादी जोतता तो वह पलटकर स्पष्ट मना कर सकते थे कि कृष्ण कुमार नही जोतता है बल्कि कब्जा काश्त वादी बृजभान का है वह जोतता है। स्वयं वादी ने कृष्ण कुमार से एक शब्द भी जिरह कब्जे काश्त स्वयं के होने बाबत जिरह नही की है। इससे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि बृजभान का भूमि पर कब्जा नही रहा है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 2 को फैसला कब्जे के अभाव मे वादी/ रेस्पो0 के हक मे करने मे विधिक भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी की साक्ष्य पर भरोसा किया है तथा प्रतिवादी की साक्ष्य पर भरोसा नही किया है। विवादित भूमि सम्वत 2021 से कब्जा काश्त कन्हैया के हिस्से पर अपीलांट का चला आ रहा है। वादी/रेस्पो0 का कब्जा काश्त कभी नही रहा है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दावा मियाद बाहर होने के बाबजूद भी तनकी संख्या 3 अपीलांट के विरूद्व निर्णित करने मे विधिक भूल की है। अपीलांट को बचपन मे ही कन्हैया ने गोद लिया था इस कारण अपीलांट के पिता लक्खी की आराजीयात का खाता उनके मरने के बाद ग्राम पंचायत पिपरानी ने जरिये नामा0 संख्या 16 दिनांक 26.4.99 को विरासत का खोला था जिसमे अपीलांट ने मजमे आम मे बताया कि वह अपने चाचा कन्हैया के गोद गया है इसलिए पिता की जायदाद मे हिस्से की जरूरत नही है इस राधेश्याम भाई के नाम नामा0 तस्दीक किया गया तथा नामा0 संख्या 35 दिनांक 26.5.76 को उत्तराधिकारी का कन्हैया के स्थान पर पुत्र होने के आधार पर लक्खी पिता की मौजूदगी मे अपीलांट के नाम तस्दीक किया गया। जिसमे सजरे मे अपीलांट को कन्हैया का पुत्र पटवारी ने दर्शाया है। इस प्रकार दस्तावेजी सबूत से अपीलांट कन्हैया का पुत्र होना साबित है। अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिग्री अभिवचनो के विपरीत पारित की है। यदि वादी अकेला कुछ समय को उनके वाद पत्र को सही मान भी लिया जावे तो कन्हैया का 1/3 हिस्सा सम्पूर्ण वादी के हक मे डिग्री कानूनन नही हो सकता है। क्योकि कन्हैया का हिस्सा लक्खी के वारिसान अपीलांट व रेस्पो0 न0 श्रीराम के वारिसान रेस्पो0 4 ता 6 तथा वादीगण तीनो मे बराबर बराबर निहित होता है। क्योकि कन्हैया ईश्वरिया लक्खी, श्रीराम तीनो का भाई था तीनो की औलाद उसके हिस्से मे समान हिस्सा रखती है। इस का विवाधक विचरीत होना कानूनन जरूरी है। ऐसा नही करके सम्पूर्ण हिस्सा रेस्पो0 के हक मे करके विधि की गंभीर त्रुटि की है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 16:48:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

निर्णय विधि के विरूद्व होने से अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिग्री निरस्त की जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

रेस्पो0 के विद्वान अधिवक्ता ने बहस अपील मे बताया कि आराजी खसरा नम्बर 65 रकबा 4 बीघा 2 विस्वा ग्राम गढमढोरा पटवार हल्का जमूरा तहसील करौली वर्तमान तहसीलदार मासलपुर मे स्थित है। जिसमे अपीलांट न0 1 व 2 के पिता लक्खी का 1/3 हिस्सा व रेस्पो0 के पिता ईश्वरिया का 1/3 हिस्सा व चाचा कन्हैया का 1/3 हिस्सा है। जिसको संयुक्त रूप से काश्त करते चले आ रहे है। रेस्पो0 का चाचा कन्हैया अविवाहित लाऔलाद फौत हो चुका है। उसके वारिस का सजरा वाद पत्र के मद नम्बर 2 मे है। आराजी ख0न0 122,123,126,127 कुल किता 4 कुल रकबा 9 बीघा 4 विस्वा ग्राम गढमढोरा मे स्थित है। जिसमें अपीलांट संख्या 1 व 2 के पिता का 1/2 हिस्सा है रेस्पो0 के काका मृतक कन्हैया का 1/2 हिस्सा है। मृतक कन्हैया के विवादित आराजीयात के हिस्सा सम्पूर्ण का व रेस्पो0 के काका मृतक कन्हैया का 1/2 हिस्सा है। मृतक कन्हैया के विवादित आराजीयात के हिस्सा सम्पूर्ण का अपीलांट न0 1 कृष्ण कुमार ने फर्जी वारिस बनकर हल्का पटवारी व रेवेन्यू अधिकारियो से साज कर अपने नाम करा लिया है। जो बिलकुल गलत व निराधार है। अपीलांट न0 1 कन्हैया का अकेला वारिस नही है। कन्हैया के हिस्से की जमीन मे रेस्पो0 का भी हिस्सा है व अपीलांट न0 3 ता 5 का भी हिस्सा है। उक्त फर्जकारी की जानकारी रेस्पो0 को नही थी रेस्पो0 कन्हैया के समय से ही उक्त जमीन को उसके साथ संयुक्त रूप से काश्त करते चले आ रहे है और काबिज है। अपीलांट द्वारा गलत रूप से कन्हैया का वारिस बनकर आराजीयात को अपने नाम गलत रूप से इन्द्राज कराने पर ही रेस्पो/वादीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे वाद पत्र प्रस्तुत किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण मे तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी का पूर्ण रूप से विवेचन करने के उपरान्त तथा वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यो का पूर्ण रूप से अध्ययन करने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे। अपने तर्को के सर्मथन मे न्यायिक दृष्टांत 2019 (1) आर. आर.टी. पेज 332 एवं डी.एन.जे. (सुप्रीम कोर्ट) पेज 166 प्रस्तुत की है।

उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषको द्वारा बहस में प्रस्तुत तर्को पर मनन किया, पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रतिवादी/अपीलांट द्वारा दिनांक 15.7.04 को जबाब दावा पेश किया। इसके पश्चात दिनांक 23.1.06 को तनकीयात कायम की गई है। जो निम्न प्रकार है।

1. आया विवादित आराजी ख0न0 65,122,123,126,127 कुल किता 5 कुल रकबा 13 बीघा 6 विस्वा ग्राम गढमढोरा वादीगण व प्रतिवादी न0 1 लगायत 8 के संयुक्त खातेदारी की है। जिसमे वादीगण का 1/2 हिस्सा है। वादीगण अपने 1/2 हिस्सा की खातेदारी घोषणा कराने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 16:48:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

2. आया विवादित भूमि वादीगण 1/2 हिस्से खातेदारी व कब्जे की है। वादीगण प्रतिवादीगण को पाबंद कराने के अधिकारी है।

वादीगण

3. अनुतोष

उपरोक्त दोनो तनकीयात वाद पत्र के अनुसार है। जबाब दावे मे मुख्यतया जिन बिन्दुओ को उठाया गया है। उनके संबंध मे तनकीयात विरचित नही की गई है। इसके अलावा अपील मे बिन्दु उठाये है जिनमे आधार पर निम्न प्रकार अतिरिक्त तनकीयात कायम किया जाना आवश्यक है।

1. आया मृतक कन्हैया लाऔलाद द्वारा लिखित तहरीर फूस सुदी 4 चौथ बुधवार सम्वत 2021 के द्वारा खातेदारी प्राप्त की गयी है जो विधिक रूप से सही है।

जिम्मे प्रतिवादीगण

2. आया मृतक कन्हैया का हिस्सा वादीगण व प्रतिवादीगण मे तीनो बराबर हिस्सा रखते है।

जिम्मे प्रतिवादीगण

उक्त तनकीयात पर साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देकर इनको तय करना पूर्ण निर्णय के लिए आवश्यक है। इसके बिना अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपूर्ण निर्णय है। जो अपास्त योग्य है। इस प्रकार प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को पुनः प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझता हूँ।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर करौली के मु0न0 126/16 निर्णय व डिक्री दिनांक 29.9.17 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर करौली को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे इस न्यायालय द्वारा एवं विचारण न्यायालय द्वारा कायम की गई तनकीयात पर उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त कर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तनकीवार विवेचन व विश्लेषण करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर करौली के यहाँ दिनांक 30.3.2020 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे।

निर्णय आज दिनांक 28.2.2020 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

28.2.20

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

(बी. एल. रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2021.01.14 16:48:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner